

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री की घोषणा में जनपद चमोली में विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.280 हे० सिविल वन भूमि, 0.350 हे० वन पंचायत भूमि, 5.320 हे० आरक्षित वन भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.500 हे० कुल भूमि 6.450 हे० सिविल/वन पंचायत/आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री घोषणा में कर्णप्रयाग-नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु कि०मी० 0.00 से 10.00 कि०मी० में सिविल भूमि 0.280 हे०, वन पंचायत भूमि 0.280 हे०, वन पंचायत भूमि 0.350 कि०मी०, आरक्षित वन भूमि 5.320 हे० एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.500 हे०, कुल 6.450 हे० भूमि हेतु जो संरक्षण किया गया है उस वन पंचायत भूमि में उसमें हमारी ग्रामसभा को कोई आपत्ति नहीं है। अतः मार्ग का निर्माण शीघ्र किया जाय।

